न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 213/2019

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0
शाखा कार्यालयः–होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर,
अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर–302019 राज0
पंजीकृत कार्यालय–4th फ्लोर, फेज।।, स्पेन्सर प्लाजा, नं0 769,
माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई–600002, तमिलनाडू

.....प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

(1). श्रीमती रंजना वर्मा पत्नि श्री आकाश वर्मा,
निवासीः– नौरत आचार्य, एस0बी0आई0 बैंक के सामने,
बस स्टैंड, श्रीनगर, अजमेर–305025(राज0)।
(2). श्री आकाश वर्मा पुत्र श्री रामनारायण वर्मा,
निवासीः– नौरत आचार्य, एस0बी0आई0 बैंक के सामने,
बस स्टैंड, श्रीनगर, अजमेर–305025(राज0)।

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री सुशील कुमार व्यास अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 04.12.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सं0 01, 02 को दिनांक 09.02.2018 को रू 30,00,000/– (अक्षरे तीस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर, गोविन्द वाटिका, फरकिया रोड, गांव श्रीनगर तहसील श्रीनगर, जिला अजमेर (राज0) के खसरा नं0 3946 के भाग पर स्थित प्लॉट नं0 36, रॉयल हाउस क्षैत्रफल 186.66 वर्ग गज, जो श्रीमती रंजना वर्मा पत्नि श्री आकाश वर्मा के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 09.02.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 03.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 24,00,130/–(अक्षरे चोईस लाख एक सौ तीस रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति गोविन्द वाटिका, फरकिया रोड, गांव श्रीनगर तहसील श्रीनगर, जिला अजमेर (राज0) के खसरा नं0 3946 के भाग पर स्थित प्लॉट नं0 36, रॉयल हाउस क्षैत्रफल 186.66 वर्ग गज, जो श्रीमती रंजना वर्मा पत्नि श्री आकाश वर्मा के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner